

परिचालन संरक्षा चेतावनी सं० ०४ /2020
[OPERATING SAFETY ALERT No.0४ /2020]

विषय: उतार-चढ़ाव (gradient) पर शंटिंग एवं वाहनों को सुरक्षित करने की सावधानियाँ.

23 दिसम्बर को देर शाम साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER) के चकरधरपुर मंडल में बरसायां स्टेशन पर इंजन को मालगाड़ी से जोड़ते समय वैगन से टक्कर हुआ और ढलान होने के कारण वैगन लुढ़कने लगे और देखते ही देखते लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 25 किलोमीटर तक लुढ़कते हुए विमलगढ़ स्टेशन पर छड़ी दूरी मालगाड़ी से जा टकराए। टक्कर इतना ज़बरदस्त था कि मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए और रेलवे ट्रैक, बिजली के खंभे के साथ ओ.एच.ई. का तार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना से पता चलता है कि जहां एक ओर ग्रेडिएन्ट (gradient) पर शंटिंग करने के नियमों का पालन नहीं किया गया वहीं दूसरी ओर लोड का रोल डाउन (Roll down) करना वाहनों को सुरक्षित नहीं किया जाने को दर्शाता है जिसके कारण ही ऐसी भीषण दुर्घटना घटी। अतः इस दुर्घटना के आलोक में निम्नलिखित सावधानी लेने का निर्देश दिया जाता है -

(क) उतार-चढ़ाव (gradient) पर शंटिंग करते समय शंटिंग का प्रभारी (इंचार्ज) रेल सेवक यह सुनिश्चित करेगा कि -

पर्याप्त संख्या में ब्रेक लगा दिए गए हैं एवं आवश्यकतानुसार स्प्रेग/स्किड/जबड़ी के गुटखे लगा दिए गए .1

वाहनों के लुढ़कने (roll down) की स्थिति में संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां स्लिप साइडिंग point .2 एवं ट्रैप points मौजूद हो, उन्हें set कर दिए गए हैं।

3. शंटिंग के संबंध में स्टेशन संचालन नियम (SWR) में दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है।

यदि शंटिंग लाइन के किसी ऐसे भाग पर किया जा रहा है जो न तो आइसोलेटेड है और न स्विप .4 साइडिंग द्वारा संक्षिप्त है, वहाँ पर गिरते ढलान की तरफ भी यथा निर्देशित, एक इंजन लगा दिया गया है।

5. वाहनों को अनियंत्रित होने से रोकने के लिए अन्य सभी सावधानियाँ ली गई हैं।

(ख) ट्रेनों / लोडों / वाहनों को स्टैबल करने एवं सुरक्षित करने हेतु ली जाने वाली सावधानियाँ:-

1. ट्रेनों / लोडों / वाहनों के दोनों ओर प्रत्येक छोर पर एक - एक चेन का प्रयोग कर बाँधा एवं तालाबंद किया गया है।

2. कम से कम चार स्प्रेग (sprags)/उडेन वेज का प्रयोग दोनों ओर के सबसे बाहरी जोड़े पहियों के नीचे लगाए गए हैं।

3. दोनों ओर से कम से कम छः (6) वैगनों का हंड ब्रेक पूर्ण रूप से अवश्य करा दिए गए हैं।

4. प्वाइंट अवश्य ही बाधित लाइन के विरुद्ध सेट कर दिया गए हैं।

5. 400 में 1 से अधिक के चढ़ाई रखने वाले ढलान पर स्टैबल करने करने के समय ली जानेवाली अतिरिक्त सावधानियाँ जो अनुमोदित विशेष निर्देश के तहत निर्धारित किया गया हो एवं संबंधित स्टेशन के SWR में उल्लिखित हो, इनका अनुपालन किया गया है।

अतः सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि GR. 5.20 एवं 5.23 में ग्रेडिएन्ट (gradient) पर शंटिंग के नियम एवं GR. 5.23 में ट्रेनों / लोडों / वाहनों को स्टैबल करने एवं सुरक्षित करने के संबंध में उल्लिखित उपर्युक्त

नियमों एवं इस संबंध में जारी किये गए अन्य निर्देशों एवं सावधानियों के प्रति संबंधित कर्मचारियों को जागरूक एवं सतर्क करने के लिए उचित कारवाई करें ताकि इस प्रकार की चूक के कारण होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके।

Signed by Salil Kumar Jha

Date: 28-12-2020 11:51:23

Reason: Approved
(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 /505, दिनांक 24.12.2020

प्रतिलिपि:

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर - महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
3. मण्डल रेल प्रबंधक - धनबाद, दानापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
4. प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
5. वरि.मण्डल परिचालन प्रबंधक-धनबाद, दानापुर,डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कारवाई हेतु।

